

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ०३-५१/२०१७/२६-२
प्रति,

भोपाल, दिनांक २३ / १२ / २०१७

१. समस्त कलेक्टर म.प्र.
२. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
३. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र.

विषय— "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन (IGNDPS) स्वीकृत करने विषयक।

१. सेवा का उद्देश्य— तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन (IGNDPS) स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत ३०० रु. प्रतिमाह पेंशन हितग्राही के खाते में प्रदाय की जाती है।

२. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा —

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा १ दिवस

३. पात्रता के मापदंड —

- आवेदक/आवेदिका म.प्र. की मूल निवासी हो।
- आवेदक/आवेदिका की आयु १८ वर्ष से ७९ वर्ष होगी।
- आवेदक/आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम १९९५ तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, १९९९ के अनुसार ८० प्रतिशत निःशक्तता एवं सीबीयर डिसेबिलिटी होना चाहिए।

४. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया—

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
१	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) <ul style="list-style-type: none">• स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची• जन्म प्रमाणपत्र• मतदाता सूची	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

